।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 30.12.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 30.12.2025** को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री पी.रामजी, अति. महानिदेशक पुलिस, कारागार, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य सचिव
3. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
5. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के निर्णय की पालना में 03 बंदियों के प्रकरण पर बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
इम्तियाज पुत्र रियाज अहमद	उ.सु.का. अजमेर	3002/2025	05.12.2025	12.12.2025
अजीत सिंह पुत्र रतन सिंह	के.का.अलवर	601/2025	10.12.2025	15.12.2025
सुभाष पुत्र हरीशचन्द्र	के.का. श्रीगंगानगर	2823/2025	28.10.2025	05.12.2025

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी अजीत सिंह पुत्र रतन सिंह, केन्द्रीय कारागृह, अलवर:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 04 जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2019 अंतर्गत धारा 302/120बी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- जुर्माना अदम अदायगी 01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास तथा धारा 397/120बी आई.पी.सी. में 07 वर्ष कठोर कारावास के दण्ड से दिनांक 21.10.2024 को दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 601/2025 अजीत बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट में आदेश दिनांक 10.12.2025 पारित किया है कि "Taking into consideration the facts of the present case and also the report, which is placed on record, this Court is satisfied that the petitioner has made out a case for being shifted to Open Air Camp. Accordingly, the report of the Open Air Camp Committee is set aside and the petitioner shall be entitled to be shifted to Open Air Camp as per the Scheme of the Rules of 1972 and necessary order in this regard shall be passed by the concerned Jail Authorities within a period of one month henceforth and a copy of this order be sent to the concerned Jail Authorities for the said purpose. In view of the above, the criminal writ petition is accordingly allowed." के निर्देश दिये गये।

माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 15.12.2025 की स्थिति में 08 वर्ष 11 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है। बंदी द्वारा प्रतिबंधित धारा 397/120बी आई.पी.सी. की 07 वर्ष कठोर कारावास की सजा अवधि भुगत ली है।

अत: माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी अजीत सिंह पुत्र रतन सिंह** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी सुभाष पुत्र हरीशचन्द्र, केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर:-

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2018 अंतर्गत धारा 302/149,377/149,397/149,323/149,342 आई.पी.सी. में दिनांक 25.07.2023 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 377 में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 2823/2025 सुभाष बनाम राजस्थान व अन्य

दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 28.10.2025 से निर्णय पारित किया है कि " In the result, the instant criminal writ petition (parole) is allowed. The impugned minutes of the meeting dated 19.03.2025 are set aside qua the present petitioner and the case of the petitioner for sending him to the Open Air Camp is remitted back to the Committee for re-consideration and decision, if the petitioner makes out any special circumstances for deviating from the general ineligibility criteria contemplated under Rule 3(d) of the Rules of 1972. The said exercise shall be done within a period of one month from the date of submission of a certified copy of this order.With the aforesaid observations and directions, the writ petition is disposed of accordingly"

माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में बंदी का प्रकरण बैठक दिनांक 19.11.2025 में समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर से प्राप्त सूचना अनुसार बंदी के विरूद्ध 01 अन्य प्रकरण संख्या 03/2016 अंतर्गत धारा 399,402 आई.पी.सी., 3/25,4/25 आर्म्स एक्ट में विचाराधीन (जमानत नही) होने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ) में निहित प्रावधानों के तहत अपात्र पाये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी सुभाष पुत्र हरीशचन्द** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

राज्य की कारागृहों मे पात्र निरूद्ध बंदियों के दिनांक 30.11.2025 की स्थिति में प्रकरण चाहे जाने पर उक्त दण्डित बंदी सुभाष पुत्र हरीशचन्द का प्रकरण संबंधित कारागृह से प्राप्त होने पर प्रकरण समिति के समक्ष पुनः विश्लेषण हेतु रखे जाने पर पाया गया कि बंदी के विरूद्ध दर्ज अन्य 03 प्रकरणों में बंदी की जमानत हो चुकी है और माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में यह भी प्रतिपादित किया है कि "The contention of the learned counsel appearing for the petitioner is that though the petitioner was convicted for the offences punishable under Sections 377 and 397 IPC, his conviction under the aforesaid provisions does not ipso facto disentitle him from consideration for sending him to the Open Air Camp, It is also his contention that the words "ordinarily be not eligible" more particularly the word "Ordinarily" as is found inRule 3(d) has been considered by the another Division Bench of this Court while deciding D.B. Criminal Writ Petition No.532/2021 (Parole) titled as "Sandeep Vs. State of Rajasthan& Ors.", decided on 23.11.2021. The above-said Division Bench has held that Rules 3 and 4 do not absolutely prohibit entitlement of the prisoners falling in the class enumerated in Rules 3 and 4 from being sent to the Open Air Camps and each case should be considered taking into consideration the special circumstances tobe made out by the prisoner, which can be exceptional to the ordinarily making the prisoner ineligible under Rule 3(d) of

the Rules of 1972. There fore, it is also his contention that the impugned order shows that the rejection of the application was made only on the ground that the conviction was made under Sections 377 and 397 IPC and that it has not considered any special or exceptional circumstances existing in the matter. The conditions which make the prisoner ineligible under Rules 3 and 4 have not been properly considered by the Committee. Therefore, the impugned order is liable to be set aside."

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी सुभाष पुत्र हरीशचन्द** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी इम्तियाज पुत्र रियाज अहमद, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक बांसवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 43/2006 अंतर्गत धारा 302,324 में दिनांक 07.11.2006 प्रभावी दिनांक 30.03.2020 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

दण्डित बंदी द्वारा सजा अवधि का 1/3 सजा भुगते जाने पर बंदी का प्रकरण दिनांक 26.11.2025 को समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी 03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन है एवं पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा से प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी के विरूद्ध 16 प्रकरण दर्ज होने के कारण तथा बंदी हार्डकोर होने से उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी इम्तियाज पुत्र रियाज अहमद को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 3002/2025 इम्तियाज बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट में आदेश दिनांक 05.12.2025 से प्रतिपादित किया है कि " Considering the limited prayer made by learned counsel for the petitioner, the present criminal writ petition is disposed of with a direction to the respondents to consider the pending case of the petitioner for sending him to the Open Air Camp, Banswara at the earliest, preferably within a period of four weeks from the date of receipt of certified copy of this order, strictly in accordance with law." के निर्देश दिये गये।

माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 08.12.2025 की स्थिति में 10 वर्ष 03 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है। पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा से प्राप्त पत्र अनुसार बंदी बांसवाड़ा जिले का कुख्यात गैंगस्टर एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधी होना एवं बंदी के

विरूद्ध 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया है तथा अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी मूल प्रकरण के अतिरिक्त 01 अन्य प्रकरण में दण्डित होने व 03 अन्य प्रकरण में विचाराधीन होने एवं बंदी हार्डकोर प्रवृति का होने के कारण बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नही की है। फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा से प्राप्त पत्र एवं अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी को ध्यान मे रखते हुए समिति का अभिमत है कि राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अर्हता अर्जित नही करता है।

अत: माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी इम्तियाज पुत्र रियाज अहमद** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)	(पी.रामजी)	(विक्रम सिंह)	(एल.आर.मीणा)	(सत्यपाल जांगिड़)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर